

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0  
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 67/2015

संस्थित दिनांक-22.06.12

फाईलिंग नंबर-2303039452012

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियोजन

विरुद्ध

1. राजाभैया उर्फ नत्थी पुत्र दौलतराम उम्र 25 साल  
निवासी ग्राम ग्राम खेरियागजू थाना मौ
2. रामजी उर्फ रमजी पुत्र जवानसिंह उम्र 33 साल  
निवासी ग्राम खरौआ थाना गोहद

----- आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक  
आरोपीगण द्वारा श्री मनोज श्रीवास्तव अधिवक्ता

### **-:- निर्णय -:-**

(आज दिनांक **29 फरवरी-2016** को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 392/398 सहपठित धारा-34 भादवि धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 06.11.11 को 15.00 बजे खरौआ चौराहा से आगे कठवा गुर्जर रोड पुलिया के पास ग्राम कठवा गुर्जर के डकैती प्रभावित क्षेत्र में अपने सह आरोपियों के साथ एक राय होकर अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में घातक शस्त्रों माउजर की अधिया अड़ाकर परिवादी अर्जुन की पत्नी से एक जोड़ी सोने के बाला, एक सोने का मंगलसूत्र लाल रंग के पर्स में रखा 500/-रुपये का नोट लूटा
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक 06.11.11 को घटनास्थल खरौआ चौराहा से आगे कठवा गुर्जर रोड पुलिया के पास ग्राम कठवा गुर्जर मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ- 91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि फरियादी अर्जुनसिंह ने दिनांक 06.11.11 को अपनी पत्नी सीमा के साथ थाने पर आकर

रिपोर्ट की कि वह अपनी साईकिल से अगूनपुरा जा रहा था। दोपहर तीन बजे के करीब कठवां गुर्जर के पहले रोड़ किनारे पुलिया के पास पहुंचे तो तीन अज्ञात व्यक्ति मोटरसाईकिल पर पुलिया के पास बैठे दिखे। जिन्होंने उसे रोका और माउजर की अधिया एक व्यक्ति ने उसके सीने पर अडादी। और एक ने उसकी पत्नी सीमा के कान के एक जोड़ सोने के बाला व एक मंगलसूत्र छीन लिया। तथा 500रुपये का नोट जो पर्स में रखा था वह भी छीन लिया।

4. उक्त आशय की रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना गोहद में करने पर अप0क0-243/11 धारा-392 भा0द0वि0 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0 पंजीबद्ध की जाकर घटना को विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नजरी नक्शामौका बनाया गया। साक्षियों के कथन, आरोपीगण की गिरफ्तारी और उनके द्वारा दिय गये मेमोरेण्डम कथनों के आधार पर हुई जप्ती के आधार पर प्रथम दृष्ट्या लूट का अपराध डकैती प्रभावित क्षेत्र में घटित होना पाते हुए वाद अनुसंधान अभियोग पत्र विचारण हेतु विशेष डकैती न्यायालय भिण्ड में आरोपीगण के विरुद्ध उक्त धाराओं के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया जो अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।
5. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 392/398 भा0द0वि0 सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने झूठा फंसाये जाने का आधार लिया है। आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।
6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-
  - 1- क्या आरोपीगण ने दिनांक 06.11.11 को दिन के करीब 3.00 बजे ग्राम खैरिया चौराहे से आगे कठवां गुर्जर रोड़ पुलिया के पास डकैती प्रभावित क्षेत्र रहते हुए फरियादी अर्जुनसिंह की पत्नी श्रीमती सीमा के जेवर एक जोड़, सोने के बाला, सोने का मंगलसूत्र लाल रंग का, पर्स और 500/-रुपये की लूट संयुक्त तौर पर लूटने के सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए लूट कारित की?
  - 2- क्या आरोपीगण ने उक्त घटना संयुक्त में लूट के सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए घातक आग्नेय शस्त्र माउजर अधिया का उपयोग करते हुए उक्त लूट कारित की?

**--निष्कर्ष के आधार :-**

### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 एवं 2 का निराकरण**

**नोट:-** उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

7. परीक्षित साक्षियों में से घटना के सर्वाधिक महत्व के साक्षी अर्जुनसिंह अ0सा0-3 ने अपने अभिसाक्ष्य में घटना कथन दिनांक 13.07.15 से करीब तीन चार वर्ष पुरानी बताते हुए यह कहा है कि वह अपने रिश्तेदार के गांव श्यामपुरा

से अपनी अपनी सीमा को साईकिल पर बैठाकर अपने गांव अग्नूपुरा जा रहा था। दिन में करीब तीन बजे का समय था जब वे कठवां गुर्जर के पहले रोड़ के किनारे पुलिया के पास पहुंचे तो तीन अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। एक बदमाश ने माउजर की अधिया (कट्टा) उसकी छाती में लगा दिया और उनमें से एक व्यक्ति ने उसकी पत्नी सीमा के कान के एक जोड़ी सोने की बाली एक मंगलसूत्र छीन लिया। तथा 500 रुपये का नोट जो लाल रंग के पर्स में उसकी पत्नी अपने ब्लाउज के अंदर रखे थे उस भी जबरन छीन लिया और तीनों व्यक्ति लाल रंग की मोटरसाईकिल पर बैठकर भाग गये। लूटकरने वाले तीनों व्यक्ति मुंह कपड़े से बांधे हुए थे। इसलिये वह और उसकी पत्नी नहीं पहचान पाये थे। तथा लूट करने वालों की कद काठी, रंग हुलिया भी वह नहीं बता सकता है। न ही सामने आने पर पहचान सकता है। उसने यह अवश्य बताया है कि लूट करने वालों में से एक छोटे कद का था जो मूँछ रखे था। हाजिर अदालत आरोपीगण को पहचानने से इन्कार करते हुए यह कहा है कि घटना के संबंध में उसने प्र०पी०-3 की एफआईआर थाना गोहद में लिखाई थी। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल पर जाकर प्र०पी०-4 का नक्शामौका भी बनाया था और उसके पत्नी के लूटे गये मंगलसूत्र की पहचान भी कराई थी जिसका शिनाख्ती मेमोरेण्डम प्र०पी०-5 पर उसने ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर बताये हैं।

8. इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि लूटने के बाद तीनों बदमाश मोटरसाईकिल से खरौआ चौराहा से झांकी की ओर भाग गये थे। उसने इस बात से इन्कार किया है कि पुलिस को लिखाई प्र०पी०-3 की रिपोर्ट एवं प्र०पी०-6 के कथन में आरोपीगण का हुलिया बताया था। और इस बात से भी इन्कार किया है कि लूट करने वालों में से लंबे कद का गोरा पतला और मूँछ रखे था। उसने यह लिखाने से भी इन्कार किया है कि वह व्यक्ति कथई रंग की व पीले रंग की शर्ट पहने था। इस बात से भी इन्कार किया है कि उसने और उसकी पत्नी ने लूटे गये लाल रंग के बटुआ को पुलिस द्वारा जप्त करने पर पहचाना था। इस बात से भी उसने पैरा-3 में इन्कार किया है कि आरोपीगण राजाभैया उर्फ नत्थी और रमजी ने उनके साथ लूट की घटना की है। आरोपीगण ने पड़ोसी गांव के होने यवा उनके दबाव प्रभाव या प्रलोभन में आकर झूठा कथन करने से भी इन्कार किया है। शिनाख्ती पंचनामा प्र०पी०-7 के संबंध में उसका यह कहना है कि पुलिस ने कोरे कागजों पर उसके हस्ताक्षर करा लिये थे। अंत में उसने पैरा-4 में यह भी कहा है कि उनके साथ जो लूट की घटना हुई थी उनका हुलिया आरोपीगण से मेल खाता है। इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य उसकी पत्नी सीमा अ०सा०-4 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में देते हुए पुलिस को प्र०पी०-8 के कथन में उल्लेखित तथ्य देने से इन्कार किया है और शिनाख्ती मेमोरेण्डम प्र०पी०-7 पर निशानी अंगूठा की पहचान के आधार पर पहचान किये जाने से इन्कार किया है। बल्कि यह कहा है कि उसका भी प्र०पी०-7 पर पुलिस ने कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लिया था, उसमें कुछ लिखाया नहीं था।

9. इस प्रकार से घटना के दोनों ही महत्वपूर्ण साक्षी श्रीमती सीमा और उसके पति अर्जुनसिंह जो कि रिपोर्टकर्ता है, दोनों ने ही आरोपीगण की न तो पहचान की है, न ही उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य दी है। केवल उनके अभिसाक्ष्य से इस बात की ही पुष्टि होती है कि जो घटना बताई गई है उस घटना दिनांक समय व स्थान पर उनके साथ लूट की घटना हुई जिसमें सीमा के कान के सोने

के बाला, मंगलसूत्र लाल रंग का बटुआ और उसमें रखे 500/-रुपये का नोट तीन अज्ञात लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल से आकर लूट करते हुए ले जाया गया और लूट की घटना में अवैध आग्नेय शस्त्र अधिया(देशी माउजर कट्टा) का भी उपयोग डराने, धमकाने में किया गया था। किन्तु घटना विचाराधीन आरोपीगण के द्वारा कारित की गई, यह उक्त दोनों साक्षियों की अभिसाक्ष्य से खण्डित होती है। क्योंकि उन्होंने न तो आरोपीगण को पहचाना है न ही उनके हुलिया का समर्थन किया है। इसलिये दोनों साक्षियों की अभिसाक्ष्य आरोपीगण के विरुद्ध नहीं पाई जाती है। और उनके अभिसाक्ष्य से पुलिस कथानक संदेहजनक स्थिति में आ जाता है। क्योंकि प्र०पी०-6 व 8 के पुलिस कथनों में अर्जुनसिंह और सीमा के द्वारा लूट में प्रयुक्त की गई बदमाशों की मोटरसाइकिल, लूटा गया सामान और लुटेरों को सामने आने पर पहचान लेने की बात बताई गई थी जिसका साक्षी ने कोई समर्थन नहीं किया है। तथा अनुसंधान के दौरान आरोपियों की शिनाख्ती की कोई कार्यवाही भी नहीं कराई गई है क्योंकि घटना की विवेचना करने वाले तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक यू०एन०एस० परिहार अ०सा०-10 ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपियों की शिनाख्ती की कार्यवाही कराना नहीं बताया है और यह कहा है कि राजाभैया की गिरफ्तारी के बाद उसका स्थानांतरण हो गया था और आगे की विवेचना अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा की गई थी। आगे की विवेचना में एसआई तहसीलदार सिंह अ०सा०-8 के द्वारा दूसरे आरोपी रमजी उर्फ रामजी की गिरफ्तारी ए०एस०आई० एन०सी० यादव के द्वारा किया जाना बताई गई है जिसका गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०-14 है। एसआई एन०सी० यादव अ०सा०-9 ने भी प्र०पी०-14 मुताबिक आरोपी रमजी उर्फ रामजी की गिरफ्तारी न्यायालय की अनुमति से प्राप्त कर औपचारिक रूप से करना बताया है। और दोनों साक्षियों के कथनों में भी आरोपी रमजी उर्फ रामजी की पहचान की कार्यवाही कराये जाने की बात नहीं बताई गई है।

10. प्रकरण में आरोपीगण को आगे के अनुसंधान के दौरान पकड़े जाने और पुलिस अभिरक्षा में रखकर की गई पूछताछ में दी गई जानकारी के आधार पर जो वस्तुएं बरामद की गई वह विचाराधीन घटना में फरियादी की लूट की वस्तुएं अर्थात् सीमा का मंगलसूत्र का पेण्डल, पर्स घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की जप्ती के आधार पर भी उन्हें अभियोजित किया गया है। इसलिये शेष साक्ष्य के आधार पर यह मूल्यांकित करना होगा कि क्या शेष साक्ष्य से आरोपीगण की घटनाकारित करने में हितबद्धता युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होती है या नहीं क्योंकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक का यह तर्क रहा है कि अभिलेख पर अभियोजन की साक्ष्य से जो लाल रंग की मोटरसाइकिल की जप्ती हुई है, वह आरोपीगण की है और जो पर्स एवं पेण्डल जप्त हुआ वह फरियादी का होने से लूट प्रमाणित होती है। और मोटरसाइकिल वाहनों की चैकिंग के दौरान पकड़ी गई थी। इसलिये यह प्रमाणित माना जावे। जबकि आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि घटना का किसी भी साक्षी ने समर्थन नहीं किया है, कोई निष्पक्ष साक्ष्य नहीं है। फरियादी सहित महत्वपूर्ण साक्षियों ने पक्ष विरोधी होते हुए कोई पुष्टि नहीं की है और जप्ती गिरफ्तारी, मेमोरेण्डम एवं शिनाख्ती की कार्यवाही दूषित है। और पुलिस अधिकारियों ने थाने पर बैठकर खानापूति करते हुए विवेचना पूर्ण करके आरोपीगण को झूठा फंसा दिया है इसलिये उन्हें दोषमुक्त किया जावे।



11. अन्य परीक्षित साक्षियों में से दासी गोले अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है। और उसने दिनांक 07.11.11 को करीब सात बजे हनुमंतपुरा से अपने गांव मोटरसाईकिल से जाने से भी इन्कार किया है। इस बात से भी इन्कार किया है कि उक्त दिनांक को पुलिस खरौआ चौराहा पर चैकिंग कर रही थी तब पुलिस ने कोई सामान जप्त किया था और उसके बारे में प्र0पी0-1 का कथन लिया था। इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य राजेन्द्रसिंह अ0सा0-2 ने भी करते हुए पुलिस को प्र0पी0-2 का कथन देने से इन्कार किया है। अनुसंधान के दौरान प्र0पी0-16 मुताबिक दिनांक 06.11.11 को रात के 9-10 बजे खरौआ चौहाहे पर मोटर चैकिंग के दौरान बिना की नंबर की बिना कागजात की मोटरसाईकिल को चैक करते हुए उसका मोटर चैकिंग पंचनामा बनाना एम0व्ही0 एक्ट की धारा-130(3)/177 एवं 39/192(ख) के अंतर्गत कार्यवाही करना बताया गया है जिसके संबंध में यू0एन0एस0 परिहार अ0सा0-10 ने अपने अभिसाक्ष्य में भी बताया है और हीरोहोण्डा पेशन प्लस मोटरसाईकिल की चैकिंग करना और उसका जप्ती पत्रक भी प्र0पी0-17 बनाना बताया है। प्र0पी0-16 एवं 17 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर बताये हैं। प्र0पी0-16 एवं 17 के अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि मोटरसाईकिल सिंघल उर्फ संग्राम उर्फ रामसेवक पुत्र कल्यानसिंह गुर्जर निवासी हर पुरा थाना गोहद से उक्त कार्यवाही की गई। किन्तु प्रकरण में उक्त नाम का कोई आरोपी नहीं है न ही उसके संबंध में पुलिस द्वारा कोई स्थिति स्पष्ट की गई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि संग्राम नाम का आरोपी कौनसा है। क्या वह लूट की घटना में बताये गये तीसरे आरोपी के रूप में है, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। और यदि सिंघल उर्फ संग्राम उर्फ रामसेवक का प्रकरण में विचाराधीन घटना से किसी प्रकार का संबंध था तो उसे अभियोजित क्यों नहीं किया गया। इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिये प्र0पी0-16 एवं 17 के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि जो लाल रंग की मोटरसाईकिल मोटर चैकिंग के दौरान पकड़ी गई वह सीमा और अर्जुनसिंह के साथ की गई लूट की घटना में लुटरे के द्वारा उपयोग की गई मोटरसाईकिल ही थी या नहीं। इसलिये प्र0पी0-16 एवं 17 को उक्त प्रकरण की घटना से नहीं जोड़ा जा सकता है।
12. शिनाख्ती पंचनामा प्र0पी0-5 जो कि मंगलसूत्र के पेण्डल से संबंधित है, और शिनाख्ती पंचनामा प्र0पी0-7 जो कि लाल रंग के बटुआ की पहचान से संबंधित है, उक्त दोनों ही शिनाख्ती पंचनामों में शिनाख्ती कराने वाला व्यक्ति वार्ड नंबर-13 नगर पालिका परिषद गोहद के पार्षद विनोद को अभियोजन की ओर से अ0सा0-7 के रूप में परीक्षित कराया गया है। जिसने प्र0पी0-5 की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। बल्कि प्र0पी0-5 के शिनाख्ती मेमोरेण्डम और थाने पर हस्ताक्षर करना बताये हैं। नगर पालिका परिषद गोहद में शिनाख्ती से इन्कार किया है। यह अवश्य कहा है कि अर्जुनसिंह ने मंगलसूत्र की पहचान की है। अर्जुनसिंह अ0सा0-3 ने भी प्र0पी0-5 मुताबिक अपनी पत्नी के लूटे गये मंगलसूत्र की पहचान करना तो बताई है किन्तु उसने नगर पालिका परिषद गोहद में पहचान का समर्थन नहीं किया है। वह पुलिस द्वारा कराना बताता है और प्र0पी0-5 का अ0सा0-7 ने समर्थन नहीं किया है इसलिये शिनाख्ती पंचनामा भी प्रमाणित नहीं होते हैं और शिनाख्ती के संबंध में अभियोजन की साक्ष्य निर्बल और अपूर्ण है जो घटना से सरोकार नहीं रखती है।

13. आरोपीगण की गिरफ्तारी, मेमोरेण्डम कथन और जप्ती पत्रक प्र0पी0-9 लगायत 13 जिसके आधार पर उन्हें अभियोजित किया गया है, उनके पंच साक्षी मुन्ना खटीक अ0सा0-5 और धीरसिंह अ0सा0-6 है जिन्होंने भी अपने अभिसाक्ष्य में प्र0पी0-9 लगायत 13 की कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया है और आरोपीगण को गिरफ्तार किये जाने, पुलिस अभिरक्षा में लेकर उनसे पूछताछ कर आरोपी राजाभैया द्वारा वस्तुओं के बरामद कराये जाने की जानकारी दिये जाने से उन्होंने इन्कार किया है। इस बात से भी इन्कार किया है कि राजाभैया ने 320/-रुपये और लाल रंग का बटुआ एवं घटना में प्रयुक्त अधिया व घर के कमरे में विस्तर के नीचे छुपाये रखने की जानकारी दिये जाने से इन्कार किया है। और इस बात से भी इन्कार किया है कि आरोपी राजाभैया द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उससे लाल रंग का बटुआ और 320 रुपये जप्त किये गये थे। इस तरह से प्र0पी0-9 लगायत 13 की कार्यवाही का पंच साक्षियों ने समर्थन नहीं किया है। प्र0पी0-9 लगायत 12 की कार्यवाही यू0एन0एस0 परिहार अ0सा0-10 ने करना बताया है। प्र0पी0-13 के संबंध में एसआई तहसीलदार अ0सा0-8 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में समर्थन किया है। प्र0पी0-13 अनुसार एक नग सोने का, मंगलसूत्र का पेंडल वजनी करीब चार आना भर जो बहेरा मुड़ा हुआ होकर कुचली हुई हालत में था उसे जप्त करना बताया है किन्तु फरियादी अर्जुनसिंह और सीमा क द्वारा ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया है कि मंगलसूत्र खोटे सोने का था। इसलिये प्र0पी0-13 के द्वारा जप्त मंगलसूत्र लूटे गये मंगलसूत्र का ही भाग है, या वह वही है, यह अ0सा0-8 लगायत 10 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।
14. एसआई एन0सी0 यादव अ0सा0-9 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 12.08.12 को थाना गोहद में पदस्थ रहते हुए अप0क्र0-243/11 की केसडायरी अग्रिम विवेचना को प्राप्त होने पर आरोपी रामजी उर्फ रमजी को गिरफ्तार किये जाने के पश्चात प्र0पी0-14 के गिरफ्तारी पंचनामा की कार्यवाही करना और पुलिस अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ कर प्र0पी0-15 का मेमोरेण्डम कथन धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत लेखबद्ध करना बताया है। जिसका किसी भी अन्य साक्षी के द्वारा समर्थन नहीं है और प्र0पी0-15 के मेमोरेण्डम कथन की जानकारी के आधार पर प्र0पी0-13 के मुताबिक जप्ती की कार्यवाही करते हुए एक नग खोटे सोने के मंगलसूत्र का पेंडल जप्त करीना बताया गया है जिसका भी पंच साक्षी धीरसिंह ने कोई समर्थन नहीं किया है। तहसीलदार अ0सा0-8 साक्षी एसआई है जो तत्समय प्रधान आरक्षक था, उसके द्वारा अवश्य समर्थन किया गया है किन्तु जप्ती के संबंध में उसके पैरा-3 में स्पष्ट साक्ष्य आई है कि जब वह आरोपी के घर उसे लेकर गये थे तब पूरा मकान खुला हुआ था और घर पर कोई नहीं था, ताला लगा था। आसपास के व्यक्तियों के भी मकान बने हैं लेकिन किसी से यह जानकारी नहीं ली गई कि आरोपी रमजी उर्फ रामजी के घर पर कितने सदस्य हैं और कहाँ चले गये हैं आरोपी रामजी के घर पर दो कमरे बने होना तथा तीन बगल से होना, एवं आंगन होना बताया है। जिस कमरे में से सोने का पेंडल आरोपी रामजी ने निकालकर दिया था उसमें वह नहीं गये थे बाहर ही खड़े रहे थे। आरोपी पेंडल कहाँ से निकालकर लाया, यह नहीं पूछा गया था।
15. तहसीलदार अ0सा0-8 पेंडल को प्र0पी0-13 के जप्ती पत्रक अनुसार

सीलबंद करना और चपड़ी आदि लगाकर थाने पर जमा करना भी कहता है किन्तु प्र०पी०-13 के जप्ती पत्रक पर कॉलम नंबर-13 में कोई सील नमूना अंकित नहीं है। तथा जप्ती मेमोरेण्डम की कार्यवाही से संबंधित कोई रोजनामाचासान्हा भी प्रकरण में पेश नहीं किया गया है। इसलिये अ०सा०-8 व 9 के अभिसाक्ष्य से प्र०पी०-13 का जप्ती पत्रक प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। तथायदि उसे प्रमाणित मान भी लिया जावे तब भी वह लूटा हुआ पेण्डल था ऐसा शिनाख्ती के अभाव में संदिग्ध है। इसलिये अ०सा०-8 व 9 के द्वारा की गई कार्यवाही प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है और उसे आरोपीगण के विरुद्ध बताई घटना से नहीं जोड़ा जा सकता है।

16. यू०एन०एस० परिहार अ०सा०-10 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में घटना की की गई विवेचना में प्र०पी०-3 की एफआईआर, प्र०पी०-4 का नक्शामौका, साक्षी अर्जुनसिंह, सीमा के कथन लेखबद्ध करना बताया है जिसके संबंध में कोई अन्यथा स्थिति प्रकट नहीं हुई है। इसलिये उक्त अभिसाक्ष्य के आधार पर और जैसा कि अर्जुनसिंह और सीमा के अभिसाक्ष्य का उपरोक्त विश्लेषण किया गया है उससे केवल इस बात की ही पुष्टि होती है कि अर्जुनसिंह और सीमा के साईकिल से अपने गांव जहाते समय रास्ते में खरौआ चौराहा के आगे पुलिया के पास तीन अज्ञात बदमाशों के द्वारा लाल रंग की मोटरसाईकिल से आकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया जिसमें अवैध आयुधों का भी उपयोग किया गया था किन्तु वह घटना आरोपीगण के द्वारा ही कारित की गई थी, ऐसा उपरोक्त वर्णन अनुसार प्रमाणित नहीं होता है और अ०सा०-9 व 10 ने अभियुक्तों की शिनाख्ती की की कार्यवाही की कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं कराई इसलिये अ०सा०-10 के अभिसाक्ष्य से भी लूट की घटना आरोपीगण के द्वारा ही कारित की गई हो, ऐसा प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। न ही उसके अभिसाक्ष्य से प्र०पी०-9 लगायत 12 की कार्यवाही को प्रमाणित माना जा सकता है। क्योंकि उनकी उक्त दस्तावेजों से संबंधित कार्यवाही का मुन्ना खटीक अ०सा०-5 व धीरसिंह अ०सा०-6 के द्वारा कोई समर्थन नहीं किया गया है। तथा प्र०पी०-16 एवं 17 की कार्यवाही भी घटना से नहीं जुड़ती है इसलिये अ०सा०-10 का अभिसाक्ष्य विचाराधीन आरोप के प्रमाणन में सहायक नहीं है। न ही उसके अभिसाक्ष्य से कोई तथ्य प्रमाणित होता है इसलिये अभिलेख पर जो साक्ष्य पेश की गई है उससे अभियोजन का मामला पूर्णतः संदिग्ध हो जाता है और कोई स्वतंत्र व विश्वसनीय साक्ष्य विरचित आरोपों के प्रमाणन बाबत अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं है।

17. इस तरह से उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 06.11.11 को दिन के करीब तीन बजे खरौआ चौराहा के आगे कटवां गुर्जर रोड़ की पुलिया के पास डकैती प्रभावित क्षेत्र में अर्जुनसिंह और उसकी पत्नी सीमादेवी के साथ जो लूट की घटना हुई थी जिसमें सीमा के सोने के कान के बाला और मंगलसूत्र, तथा लाल रंग का पर्स जिसमें 500रुपये का नोट था, वह आरोपीगण के द्वारा ही लूटे गये और आरोपीगण के द्वारा लूट के अपराध में आग्नेय शस्त्र का भी उपयोग किया गया। परिणामस्वरूप आरोपीगण संदेह का लाभ पाने के पात्र हैं अतः उन्हें संदेह का लाभ दिया जाकर धारा 392/398 सहपठित धारा-34 भादवि धारा-11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट 1981 के आरोपों से

दोषमुक्त किया जाता है।

18. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19. प्रकरण में जप्तशुदा बटुआ मूल्यहीन होनेसे अपील अवधि उपरान्त नष्ट किया जावे। एवं सोने का पेण्डल अपील अवधि उपरान्त फरियादिया सीमा पत्नी अर्जुनसिंह निवासी अगनूपुरा का विधिवत वापिस किया जावे। एवं प्रकरण में प्र0पी0-17 के मुताबिक जप्तशुदा लाल रंग की मोटरसाईकिल पेशन प्लस बिना नंबर की जिसका चैसिस नंबर-एमबीएलएचए10ईएल8जीबी49504 एवं इंजिन नंपंबर-एचए10ईबी8जीबी63545 है, पर किसी की ओर से कोई क्लेम नहीं किया गया है अतः उसे अपील अवधि पश्चात विधिवत राजसात कर उससे प्राप्त धनराशि शासकीय कोषालय में जमा की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

20. निर्णय की प्रति डी0एम0 भिण्ड को भेजी जावे।

दिनांक: **29.02.2016**

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश डकैती,  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश डकैती,  
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)